रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1976/चैत्र 4, 1898
No. 146] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 1976/CHAITRA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 24th March 1976

S.O. 228(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And, whereas, any strike in the services connected with supply of electrical energy to the public or with generation and transmission of electrical energy in the State of Gujarat would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute, in the said services for a period of six months.

[No. F. S-42025/27/75/DIA]

D. BANDYOPADHYAYA, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का० आ० 228 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यतः, गुजरात राज्य में जनता के लिए विद्युत् ऊर्जा प्रदाय से अथवा विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन और प्रेषण से संबंधित किन्हीं सेवाओं में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, अतः, उक्त सेवाओं में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त सेवाओं में किसी विवाद से संबंधित किसी हड़ताल को तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फा० एस-42025/27/75/डी आई ए]

डी० बन्द्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976